न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 255/2014

1. झाबरमल पुत्र गोदाराम पौत्र देवला
2. सगरमल पुत्र गोदाराम पौत्र देवला
3. रामचन्द्र पुत्र हणमानसहाय पौत्र बाण्डू उर्फ बोण्डा
4. सीताराम पुत्र हणमानसहाय पौत्र बाण्डू उर्फ बोण्डा
5. जीवण पुत्र मांग्या मृतक के बजाय –

5/1. नाथूराम पुत्र जीवण
5/2. नानूराम पुत्र जीवण
5/3. लालचन्द पुत्र जीवण
5/4. प्रहलाद पुत्र जीवण
5/5. जैली पुत्री जीवण

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी कानात तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. फता पुत्र दुला जाति जाट निवासी ढ़ाणी कानात तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

उपस्थित – 1. श्री बनवारीलाल कुड़ी एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक – .10.20

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 197 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसका रिसैटलमेन्ट 1980–82 मे नये खसरा नं. 557,558,559 कुल किता 3 रकबा 2.05 है। तन ग्राम भुरानपुरा पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर मे दर्ज किये गये। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

बुर्जुगान से काबिज काश्त है। वादी नं. 1 व 2 का दादा देवला व उसका भाई बाण्डू उर्फ बोण्डा दादा वादीगण 2, 4 व वादी 5 का पिता मांग्या काबिज काश्त थे व तीनो ही इसे काश्त करते थे। मृतक के इन तीनों के अलावा कोई पुत्र चौथा नही था। परन्तु सैटलमेन्ट मे तीनो के साथ गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 फत्ता का नाम दर्ज किया गया है जबकि उसके फत्ता नाम का कोई पुत्र नही था व उसे वादीगण राजस्व रिकार्ड से हजब कराने के अधिकारी है। देवला के कोई संतान नही थी, इस कारण उसे वादीगण 1 व 2 के पिता गोदाराम को गोद ले लिया था व उसका देहान्त हो चुका है। उसके एकमात्र उत्ताधिकारी वादीगण 1 व 2 है व बाण्डु उर्फ बोण्डा खातेदार का भी देहान्त हो चुका है उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र हणमान का भी देहान्त हो चुका था उसके उत्तराधिकारी वादीगण 3 व 4 है एवं खातेदार मांग्या का भी देहान्त हो चुका है, उसके उत्तराधिकारी वादी नं. 5 है। दौराने वाद वादी संख्या 5 जीवण के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान 5/1 लगायत 5/5 रिकार्ड पर लिये गये है। गिरदावरी में भी शुरू से देवला व बोण्डा, मांग्या के नाम संवत 2013 से 2019 तक व सम्वत 2031 से 2033 दर्ज है व सम्वत 2012 मे मांग्या, देवला का नाम दर्ज कर गिरदावरी में फत्ता का नाम दर्ज नही है जो यह प्रमाणित करता है कि मृतक के इस नाम का कोई पुत्र नही था अगर होता तो उसका नाम गिरदावरियो में अवश्य दर्ज होता है।

अतः वादीगण 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण 3 व 4 वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण नं. 5/1 लगायत 5/5 वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण नाम उपरोक्त वर्णित अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने से काफी हकतलफी है। वादीगण के अधिकारो पर भी विपरीत असर पडा है इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के गलत रूप से दर्ज नाम को हजब करने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने इनकार कर दिया इसलिए वाद कारण उत्पन्न पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे वाद पेश हुआ। वादीगण ने वाद पेश कर अनुतोंष चाहा कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 557, 558, 559 कुल किता 3 कुल रकबा 2.04 अवस्थित ग्राम भुरानपुरा पटवार मण्डल खिरोटी के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजब किया जाने का आदेश दिया जावे तथा यह भी घोषणा कि जावे कि मृतक दुला के फत्ता नाम का कोई पुत्र नही था उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज हुआ है तथा वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा वादीगण 1 व 2 बहिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा वादीगण 3 व 4 बहिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा वादीगण 5/1 लगायत 5/5 का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु प्रतिवादी सं. 2 को आदेशित किया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2068–71, गिरदावरी संवत 2013–19 मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किये। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व बावजूद सम्यक तामिल उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की तामिल के संबंध मे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि फत्ता नाम का कोई व्यक्ति इस राजस्व ग्राम मे निवास नही करता है। जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित करने पर डाक विभाग कि रिपोर्ट प्राप्त हुयी हरिपुरा की ढाणी का नाथ मे फत्ता नाम का कोई व्यक्ति नही है। इसी सम्बन्ध मे वकील वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत झाडली का प्रमाण पत्र पेश किया कि दूला पुत्र रूपा के देवला, बोण्डा व मांगू नाम के तीन ही पुत्र थे, फत्ता नाम का कोई पुत्र नही था।

प्रकरण में पटवारी हल्का झाड़ली से प्राप्त रिपोर्ट 26.08.2019 अनुसार वादग्रस्त भूमि में फत्ता (प्रतिवादी संख्या 1) का नाम गलत रूप से दर्ज है। उक्त तथ्यों को अभिलिखित करते हुये वादीगण ने एक प्रार्थना 151 CPC इस आशय का पेश किया कि तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट, डाक विभाग की रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ली की रिपोर्ट, रिपोर्ट पटवारी 26.08.2019 अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 फत्ता नाम को कोई व्यक्ति ही नहीं है तो उसका सही पता कहां से अंकित किया जावे। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावे। गुणावगुण के विवेचन उपरान्त प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद के समर्थन में वादी संख्या 4 ने बतौर साक्ष्य मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली में बहस एकपक्षीय वकील वादी सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र वादीगण, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी, प्रस्तुत गिरदावरी संवत 2013–19, मिलान क्षेत्रफल, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ली, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.08.2019 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी मर मनन किया। जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि मृतक दूला के तीन पुत्र गोदाराम, बाण्डू व मांग्या ही थे, कोई फत्ता नाम का चौथा पुत्र नहीं था। रिपोर्ट पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी दिनांक 26.08.2019 में पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ग्राम भुरानपुरा के भूमि खसरा नंबर 557, 558, 559 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हैक्टे. के पुराने खसरा नंबर 197 था। जो प्रथम भूप्रबन्धन के समय देवला, बोडा, मांगा, पिता दूला कौम जाट के नाम दर्ज थी। फत्ताका नाम दर्ज नहीं था। दूला के मात्र तीन पुत्र ही थे जिनके नाम देवला, बोडा, मांगा थे। उक्त भूमि में सम्वत् 2021 में सहवन से फत्ता नाम दर्ज हो गया है। अतः रिकॉर्ड में फत्ता का नाम हटाकर दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2013–2019, 2031–33 में भी केवल देवला, बोडा, मांग्या पिता दूला कौम जाट ही दर्ज है। ग्राम पंचायत झाड़ली द्वारा जारी प्रमाण पत्र 05.07.2014 में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि " प्रमाणित किया जाता है कि दूला पुत्र रूपा जाट निवासी ढ़ाणी का नाथ तन झाड़ली श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कूल निवासी थे। इनके तीन पुत्र (1) देवला (2) बोडा उर्फ बांड्या (3) मांग्या थे। तथा फला उर्फ फत्ता इनका कोई पुत्र नहीं था। इनकी जमाबन्दी में फला उर्फ फत्ता दर्शा रखा है वह इनका कोई पुत्र नहीं था।" उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्ध है कि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

फत्ता पुत्र दूला नाम का कोई व्यक्ति नहीं एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में फत्ता पुत्र दूला का नाम गलत रूप से दर्ज है। अतः वादग्रस्त आराजी में फत्ता पुत्र दूला का नाम हजफ किया जाना एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारान के फौत हो जाने से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 557, 558, 559 कुल किता 3 रकबा 2.04 हैक्टेयर ग्राम भुरानपुरा पटवार मण्डल खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी गण 1 व 2 के बहिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा वादी गण 3 व 4 के बहिस्सा बराबर व 1/3 हिस्सा वादी गण 5/1लगायत 5/5 बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 557, 558, 559 कुल किता 3 रकबा 2.04 हैक्टेयर ग्राम भुरानपुरा पटवार मण्डल खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड मे [redacted] खातेदार फता पुत्र दूला नाम का कोई व्यक्ति नही होने से फता पुत्र दूला का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा शेष खातेदारान के फौत हो जाने से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 557, 558, 559 कुल किता 3 रकबा 2.04 हैक्टेयर ग्राम भुरानपुरा पटवार मण्डल खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे 1/3 हिस्सा वादी गण 1 व 2 को बहिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा वादी गण 3 व 4 को बहिस्सा बराबर व 1/3 हिस्सा वादी गण 5/1लगायत 5/5 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested